

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGE, VAISHALI AT
HAJIPUR
L.A. No. 19 of 2025

Mr. Indrajeet Kumar Ram @ Indrajeet Ram

..... Applicant

Versus

Indu Devi

.....O.P.

16.04.2026

आवेदक अनुपस्थित है। वाद पुकारा गया। पुकार पर आवेदक या उसके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद सिरिस्तेदार द्वारा प्रतिवेदित त्रुटी के निवारण हेतु लंबित चला आ रहा है। आवेदक लगातार अनुपस्थित है। स्पष्ट निर्देश के बाद भी आज तक त्रुटी निवारण नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक की वाद में अभिरुची समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में वाद को आगे चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यथा वाद अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।



प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश
वैशाली, हाजीपुर